ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी के की ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। लेकिन पत्रावली वलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 ने उक्त खेताय से अपना सम्पूर्ण हिस्से का कर रहे हे एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हत पेश किाय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का भी है। अतः तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार डेह के पास जमा होने पर अमल दरामद किया न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

— : आदेश :—

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का कार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी ताराचंद व प्रतिवादी संख्या 1 रूकमा देवी के हक बंट में ग्राम सोनेली के खेत खसरा नम्बर 1 रकबा 6.9606 हैक्टेयर में से 1/2 उत्तरी हिस्सा बंट में रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 6 मोहनराम के हक बंट में ग्राम सोनेली के खेत खसरा नम्बर 1 रकबा 6.9606 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा दक्षिणी हिस्सा बंट में रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी सं. 2 से 5 क्रमाशः गिगाराम, चेलाराम, सन्तोष व रेखा द्वारा अपने हक हिस्से का त्याग करने से मामला हक त्याग के द्वारा भूमि अन्तरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे यमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व कॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 24/7/23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner